



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।



वन भवन, डोरणडा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो०बजट-26 / 2017-414

दिनांक : 13.08.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताडा वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ पाकुड़ वन प्रमण्डल/ लोहरदगा वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ सिमडेगा वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/ चाईबासा वन प्रमण्डल/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजन) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु कुल ₹0 384.196 लाख (तीन करोड़ चौरासी लाख उन्नीस हजार छ: सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०बजट-31/2017-21/स्वी० व०प० दिनांक-09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-27/2019- 08/आ० व०प० दिनांक 05.08.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल 384.196 लाख (तीन करोड़ चौरासी लाख उन्नीस हजार छ: सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	335.235
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	48.961
कुल :-		384.196

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103, 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मानलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI)

COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—26 / 2017—414

दिनांक—13.08.2020

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—26 / 2017—414

दिनांक—13.08.2020

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ दुमका/ साहेबगंज/ पाकुड़/ लोहरदगा/ गुमला/ डोरण्डा, राँची/ सिमडेगा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/ चाईबासा/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			7247.86	961.00	8208.86
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	100.00	7.248	0.961	8.209
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	50.00	3.624	0.480	4.104
3	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	100.00	7.248	0.961	8.209
4	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	45.00	3.261	0.432	3.693
5	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	260.00	18.844	2.499	21.343
6	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	200.00	14.496	1.922	16.418
7	राँची वन प्रमण्डल, राँची	250.00	18.120	2.402	20.522
8	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	222.00	16.090	2.133	18.223
9	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	386.00	27.977	3.709	31.686
10	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	100.00	7.248	0.961	8.209
11	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	90.00	6.523	0.865	7.388
12	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	100.00	7.248	0.961	8.209
13	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	100.00	7.248	0.961	8.209
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	200.00	14.496	1.922	16.418
15	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	150.00	10.872	1.442	12.314
16	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	100.00	7.248	0.961	8.209
योग :-		2453.00	177.791	23.572	201.363

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			9820.76	1590.00	11410.76
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	50.00	4.910	0.795	5.705

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			9820.76	1590.00	11410.76
i	ii	iii	iv	v	vi
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	50.00	4.910	0.795	5.705
3	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	50.00	4.910	0.795	5.705
4	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	20.00	1.964	0.318	2.282
5	राँची वन प्रमण्डल, राँची	270.00	26.516	4.293	30.809
6	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	100.00	9.821	1.590	11.411
7	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	100.00	9.821	1.590	11.411
8	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	60.00	5.892	0.954	6.846
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	100.00	9.821	1.590	11.411
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	100.00	9.821	1.590	11.411
11	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	300.00	29.462	4.770	34.232
योग :-		1200.00	117.848	19.080	136.928

अनुलग्नक-3

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			13422.82	2138.50	15561.32
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	50.00	6.711	1.069	7.780
2	राँची वन प्रमण्डल, राँची	100.00	13.423	2.139	15.562
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	60.00	8.053	1.283	9.336
4	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	55.00	7.382	1.176	8.558
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	30.00	4.027	0.642	4.669
योग :-		295.00	39.596	6.309	45.905
सकल योग :-		3948.00	335.235	48.961	384.196

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो०ब०-३१ / 2017-21 / स्वी० व०प० दिनांक 09.08.2017


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मीटर \times 2 मीटर

मजदूरी दर : 257.29 रुपये प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेक्टेक्टर	35.00	9005.15	0.00	9005.15	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	3131.22		3131.22	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टेक्टर	5.00	1286.45	176.00	1462.45	
योग :-			52.17	13422.82	2138.50	15561.32	



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
शिक्षारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हेठो)

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 257.29 रु0 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेठो	14.00	3602.06	0.00	3602.06	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	3131.22		3131.22	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठो	2.00	514.58	176.00	690.58	
योग :-			28.17	7247.86	961.00	8208.86	

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेठो)

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

मजदूरी दर : 257.29 रु0 प्रति मानव दिवस

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	23.00	5917.67	0.00	5917.67	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	स्थल	12.17	3131.22	0.00	3131.22	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठो	3.00	771.87	290.00	1061.87	
योग—			38.17	9820.76	1590.00	11410.76	



अपर प्रधान मुख्य कर्म संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



राजस्थान सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

वालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या - 01/YB-26/2017/414

दिनांक -

13-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययम पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृश्चारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36525	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	1,886,900.00 रुपये अठारह लाख छियासी हजार तीन सौ
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृश्चारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36528	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	853,400.00 रुपये आठ लाख तीरपन हजार चार सौ

2,740,300.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये सत्ताइस लाख चालीस हजार तीन सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ग्र. ADDL. PCCE DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बैतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36531	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,215,800.00 रुपये बारह लाख पंद्रह हजार आठ सौ
4	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बैतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36534	PKRFOR001 VINAY KANT MISHRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	522,500.00 रुपये पाँच लाख बाइस हजार पाँच सौ
5	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बैतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36536	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	1,884,400.00 रुपये अठारह लाख चौरासी हजार चार सौ

3,622,700.00

6,363,000.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये तीरसठ लाख तीरसठ हजार

(NAND KISHORE SINGH)

ADBL. PCCF, DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36538	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	1,449,600.00 रुपये चौदह लाख उनचास हजार म: सौ
7	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36540	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	5,805,900.00 रुपये अठावन लाख पौँच हजार नौ सौ
8	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36542	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,609,000.00 रुपये सोलह लाख नौ हजार

8,864,500.00

15,227,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

S ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36545	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	4,585,100.00 रुपये पैतालीस लाख पिचयासी हजार एक सौ
10	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36547	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	2,445,100.00 रुपये चौहास लाख पैतालीस हजार एक सौ
11	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36548	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	1,241,500.00 रुपये बारह लाख इकतालीस हजार दो चौह सौ

8,271,700.00

23,499,200.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड़ चौतीस लाख निन्नानवे हजार दो सौ

(NAND KISHORE SINGH)

SABU. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36549	S GHFOR003 SRI. SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	724,800.00 रुपये सात लाख चौहास हजार आठ सौ
13	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36552	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	1,706,900.00 रुपये स त्र ह लाख छ: हजार नौ सौ
14	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36554	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	1,449,600.00 रुपये चौदह लाख उनचास हजार रु: सौ

योगः

3,881,300.00

क्रमिक योगः

27,380,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

SAPOL. PCCF, DEO, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकाशी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36555	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	2,472,000.00 रुपये चौहास लाख बाहतर हजार
16	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36556	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	724,800.00 रुपये सात लाख चौहास हजार आठ सौ
17	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36558	LTRFOR004 VED PRAKASH KAMBOJ D.F.O. S.F.D LATEHAR	2,946,200.00 रुपये उन्तीस लाख छयालीस हजार दो सौ

6,143,000.00

33,523,500.00

योगः

क्रमिक योगः:

रुपये तीन करोड़ पैसास लाख टेहस हजार पॉच सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36561	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	282,500.00 रुपये दो लाख बयाती हजार पाँच सौ
19	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36562	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	127,500.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ
20	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36564	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	175,600.00 रुपये एक लाख पचहत्तर हजार छः सौ

योगः

क्रमिक योगः

रुपये तीन करोड इकतालीस लाख नौ हजार एक सौ

585,600.00

34,109,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCP.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	लिकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36565	PKRFOR001 VINAY KANT MISHRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार
22	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36566	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	249,900.00 रुपये दो लाख उनचास हजार नौ सौ
23	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36567	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	192,200.00 रुपये एक लाख बयानवे हजार दो सौ


योगः

517,100.00

क्रमिक योगः:

34,626,200.00

रुपये तीन करोड छ्यालीस लाख छब्बीस हजार दो सौ



(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36568	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	883,400.00 रुपये आठ लाख तिरयासी हजार चार सौ
25	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36569	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	213,300.00 रुपये दो लाख तेरह हजार तीन सौ
26	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36570	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	658,200.00 रुपये छ: लाख अठावन हजार दो सौ

योगः

1,754,900.00

क्रमिक योगः

36,381,100.00

रुपये तीन करोड़ तीरसठ लाख इक्कयासी हजार एक सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
27	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36571	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	372,700.00 रुपये तीन लाख बहुतर हजार सात सौ
28	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36572	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	181,900.00 रुपये एक लाख इक्काहसी हजार नौ सौ
29	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36573	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ

650,700.00

37,031,800.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये तीन करोड सत्तर लाख इकतीस हजार आठ सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ABDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
30	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36574	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO,SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	रुपये दो लाख पचपन हजार एक सौ
31	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36575	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	रुपये एक लाख बयानदे हजार दो सौ
32	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36576	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	रुपये तीन लाख सङ्क्षठ हजार चार सौ

योगः

३०८

रुपये तीन करोड़ अठहत्तर लाख छयालीस हजार पॉच सौ

814,700.00

37,846,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
33	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36578	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ
34	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36579	LTRFOR004 VED PRAKASH KAMBOJ D.F.O. S.F.D LATEHAR	477,000.00 रुपये चार लाख सित्योत्तर हजार
<hr/>				
योगः				573,100.00
क्रमिक योगः	स्पष्ट तीन करोड चौरासी लाख उन्नीस हजार छः सौ			38,419,600.00
<hr/>				